विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1298/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2018

लखनऊ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1294/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2018 का तृतीय सत्र, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार प्रथम शुक्रवार को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार निदेश संख्या-8 को शिथिल करते हुए मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 को तथा द्वितीय शुक्रवार को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को लिये जाने वाले असरकारी विधेयकों हेतु शलाका सामान्यतः बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 4.30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों/विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक 11 व 12 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक दी जा सकती हैं। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकते हैं।

अतएव आप यदि चाहें तो अपने असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 11 व 12 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय में दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1298(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार [redacted],
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी-एल0 144 विधान सभा (258)-03-12-2018-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।